पत्रांक 5180/आयु0क0/उत्तरा0/धारा–57/वा0कर/2009–10/दे0दून

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,
(धारा–57, अनुभाग)
दिनांक:: देहरादून::29 दिसम्बर, 2009

प्रार्थना पत्र सं0 – 19.9.09
सर्वश्री लाल कुआँ स्टोन केशन प्रा0लि0,
रामपुर रोड, रुद्रपुर।
निर्णय का दिनांक– दिसम्बर 2009,
फर्म की ओर से उपस्थित– श्री डी0पी0 यादव अधिवक्ता।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय।

मैसर्स लाल कुआँ स्टोर केशर प्रा0लि0, रामपुर रोड रुद्रपुर के द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत दिनांक 1–10–05 से 21–1–06 तक नदी के बोल्डर, आर0बी0एम0 से बनाये गये स्टोन ग्रिट, रेता व बजरी देय करदेयता के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया।

विभागीय मत ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)वाणिज्य कर, काशीपुर सम्भाग, काशीपुर द्वारा उपलब्ध करते हुये अवगत कराया गया है कि दिनांक 1–10–05 से वैट अधिनियम लागू होने के पश्चात अधिनियम की अनुसूची 2(ख) के कमांक 94 पर "नदी का बालू और रोडी जिसमें (क) बोल्डर, (ख) स्टोन केशर द्वारा निर्मित ग्रिट तथा बालू सम्मिलित नही है" को रखते हुये 4 प्रतिशत की दर से करदेयता लागू की गयी हैं इस प्रकार स्टोन केशर निर्मित वस्तु पर उक्त तिथि से 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता लागू है, जिसे दिनांक 21–1–2006 को संशोधित किया गया है।

2. फर्म की ओर से श्री डी0पी0यादव अधिवक्ता फर्म उपस्थित हुए। उनके द्वारा लिखित उत्तर दाखिल किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लाल कुआँ स्टोन केशर प्रा0लि0,के वाद में स्टोन तथा ग्रिट के साइज भिन्न–भिन्न होने पर भी उनकी प्रकृति और उपयोग में कोई परिवर्तन नही होता है तथा स्टोन के साइज में परिवर्तन होने से किसी नयी वस्तु का निर्माण न होने पर उसमें समान दर से करदेयता लागू रहेगी का मत प्रतिपादित किया गया है। इस सम्बन्ध में सर्वश्री हिमालय स्टोन इण्डस्ट्रीज मोती नगर हल्द्वानी के धारा–57 के तहत पारित आदेश जिसमें स्टोन केशर द्वारा तैयार की गयी ग्रिट एवं स्टोन डस्ट पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है, का प्रकरण भी सन्दर्भित किया गया।

3. मेरे द्वारा फर्म अधिवक्ता तथा विभागीय मत का अवलोकन किया गया। उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची 2 (ख) के तहत कमांक 94 पर "नदी की बालू तथा ग्रिट जिसमें (क) बोल्डर और (ख) जिसमें स्टोन केशर निर्मित ग्रिट एवं बालू सम्मिलित नही है" को रखते हुये अधिनियम लागू होने की तिथि दिनांक 1–10–05 से 4 प्रतिशत की दर से करयोग्य घोषित किया गया । दिनांक 21–1–2006 को शासन द्वारा अधिसूचना संख्या–04 जारी करते हुये उक्त प्रविष्टि को संशोधित करते हुये "नदी की बालू, ग्रिट, बोल्डर" रखते हुये इसे 4 प्रतिशत की दर से करयोग्य घोषित किया गया। चूंकि वैट अधिनियम लागू होने के बाद दिनांक 21–1–2006 तक विधायिका द्वारा बोल्डर एवं स्टोन केशर सं निर्मित ग्रिट तथा बालू को अनुसूची 2 (ख) में सम्मिलित नही किया गया है तथा संदर्भित प्रविष्टि पूर्णतयाः स्पष्ट है, एवं विधायिका वस्तुओं कों इस प्रकार वर्गीकरण करने हेतु सक्षम है। इस प्रकार उक्त प्रश्न का उत्तर दिया जाता हैं।

...2

इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा संम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक–पृथक भेजा जाय।

(वी0के0सक्सेना)
एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर
मुख्यालय, देहरादून।

पृ0प0सं0 ५१८०/दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्दिरा नगर देहरादून।
2. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमॉऊ जोन रूद्रपुर।
3. एडिशनल कमिश्नर,(आडिट)/(प्रर्वतन्न)/वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून ।
4. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/ हरिद्वार/ काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एशोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
5. ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी ।
6. ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0 /परिवर्तन) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर ।
7. बरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर की बेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें
8. पोर्टल प्रबन्धक, उत्तरा पोर्टल एन0आई0सी0,4 सुभाष रोड़ देहरादून ।
9. संख्या–अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वार प्रेषित कर दें।
10. नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड़ गाजियाबाद।
11. नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राज नगर गाजियाबाद।
12. लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर गाजियाबाद।
13. कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु ।
14. विधि–अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

2/12 07

एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर
मुख्यालय, देहरादून।